## प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 05.01.2026

### थाना- दिलीपपुर, जनपद- प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस के साथ चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 02 अभियुक्त घायल/गिरफ्तार-

थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत चौहर्जन पुल के पास जंगल में बहद ग्राम बसीरपुर में थाना दिलीपपुर पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 02 अभियुक्तों, 01. लवकुश ओझा, 02. चांद के दाहिने पैर में लगी गोली।

घायल अभियुक्तों को ईलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया।

अभियुक्तों के कब्जे से लूट की 01 अदद ई-रिक्शा की बैटरी एवं 02 अदद देशी तमन्चा 315 बोर, 04 अदद खोखे कारतूस व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 03.01.2026 को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामपुर आधारगंज में 01 व्यक्ति से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ई-रिक्शा को सुनसान स्थान पर रुकवाकर तमंचा एवं चाकू दिखाकर ई-रिक्शा की बैटरी, मोबाइल फोन एवं जेब में रखे ₹700/- नगद छीनकर सभी अभियुक्त मौके से फरार हो गए। उक्त प्रकरण में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 03/2026 धारा 309(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में दिनांक 05.01.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष श्री बलराम सिंह के नेतृत्व में थाना दिलीपपुर पुलिस टीम द्वारा थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत चौहर्जन पुल के पास जंगल में बहद ग्राम बसीरपुर में चेकिंग के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में संबंधित 02 शातिर अभियुक्तों, 01. लवकुश ओझा पुत्र राकेश ओझा निवासी ग्राम श्रीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष, 02. चांद पुत्र रामबृक्ष निवासी ग्राम सराय शेर खान थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्तों को ईलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद देशी तमन्चा 315 बोर, 04 अदद खोखे कारतूस व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद एवं थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 03/2026 धारा 309(4) बीएनएस से संबंधित लूट की 01 अदद ई-रिक्शा की बैटरी बरामद किया गया जिसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. लवकुश ओझा पुत्र राकेश ओझा निवासी ग्राम श्रीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष
02. चांद पुत्र रामबृक्ष निवासी ग्राम सराय शेर खान थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

01. चांद पुत्र रामबृक्ष निवासी ग्राम सराय शेर खान थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
1. मुकदमा संख्या 249/2024 धारा 115(2),351(3),352 बीएनएस थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़।
2. मुकदमा संख्या 155/2025 धारा 115(2),351(3),352 बीएनएस व एससी एसटी एक्ट थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़।

02. लवकुश ओझा पुत्र राकेश ओझा निवासी ग्राम श्रीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ आपराधिक इतिहास
1. मुकदमा संख्या 329/2022 धारा 323,352,427,452,504,506 भादवि थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-
थानाध्यक्ष श्री बलराम सिंह मय उ0नि0 रमिल कुमार, उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा, का0 निर्दोष कुमार,का0 धीरज कुमार ,का0 जगदीश प्रसाद थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

शादी का झांसा देकर ठगी करने वाला शातिर अभियुक्त महेश यादव गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोहंडौर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, शादी का झांसा देकर ठगी करने वाला शातिर अभियुक्त महेश यादव गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद-
फर्जी पहचान के सहारे अपराध करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 24.11.2025 को वादिनी निवासी ग्राम मौहरिया पूरब पट्टी, थाना कोहडौर, जनपद प्रतापगढ़ के साथ एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को अनिल सरोज बताकर विश्वास में लेकर शादी का झांसा दिया गया। अभियुक्त ने छलपूर्वक वादिनी का मोबाइल फोन, ₹25,000/- नगद एवं ₹8,200/- ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिया। बाद में अभियुक्त द्वारा फर्जी मृत्यु की सूचना देकर पुनः धन की मांग की गई। अभियुक्त का वास्तविक नाम महेश यादव पुत्र केशव राम यादव नि ग्राम रामपुर थाना रामगंज जनपद अमेठी है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 02/2026 धारा 318 (4)/319 (2) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण/नेतृत्व में थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनंजय राय मय हमराह उ0नि0 आरती पटेल, का0 प्रवेश यादव मय चालक हे0का0 राधाकृष्ण द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों,

वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 02/2026 धारा 318 (4)/319 (2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त महेश यादव पुत्र केशव राम यादव निवासी ग्राम रामपुर, थाना रामगंज, जनपद अमेठी उम्र लगभग 27 वर्ष को 01 अदद ओप्पो मोबाइल, 01 अदद फर्जी आधार कार्ड व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो CD-Dawn के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद ओप्पो मोबाइल, 01 अदद फर्जी आधार कार्ड की बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में 317(2) की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो CD-Dawn को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं ही अपना नाम अनिल सरोज बताते हुए शादी का झांसा देकर के वादिनी से पैसा व उसका मोबाइल लिया था। पैसा तो मैनें खर्च कर दिया है पर उसका मोबाइल मेरे पास है। अभियुक्त से बरामद ओप्पो मोबाइल के बारे में बताया गया कि यह मोबाइल मैंने वादिनी से लिया था। मैं ऐसे ही भिन्न भिन्न नाम का आधार कार्ड रखता हूँ और भोले भाले लोगों से छल कपट करके पैसे ले लेता हूँ।

तत्पश्चात अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिसमें मुकदमा वादिनी को बिठाकर कोहंडौर बाजार लाया गया था, के बारे में पूछताछ की गयी तो बताया कि वह वाहन हीरो CD-Dawn है। मैंने करीब तीन वर्ष पूर्व प्रतापगढ़ से सेकेण्ड हैण्ड खरीदा था, जो अभी मेरे नाम से ट्रांसफर नहीं हुयी है। इसी वाहन का इस्तेमाल मैंने अपराध कार्य में किया था वह मोटरसाइकिल रामगंज बाजार जनपद अमेठी में खड़ी है। अभियुक्त की निशानदेही में घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. महेश यादव पुत्र केशव राम यादव निवासी ग्राम रामपुर, थाना रामगंज, जनपद अमेठी उम्र लगभग 27 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनंजय राय मय हमराह उ0नि0 आरती पटेल, का0 प्रवेश यादव मय चालक हे0का0 राधाकृष्ण थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

## थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
जबरन वसूली व धमकी के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार -
अभियुक्तों को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत कोठीयाही मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.01.2026 को वादी निवासी थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, जे0सी0बी0 व डम्फर लेकर घर लौटते समय थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत बशीरपुर पुल के पास आरोपीगणों द्वारा वाहन रोककर अवैध धन वसूली का दबाव बनाया गया। इंकार करने पर गाली-गलौज करते व धमकी दी गई तथा वादी के मोबाइल से ₹30,000/- की धनराशि जबरन ट्रांसफर कराई गई। इस संबंध में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 04/2026 धारा 308(2), 352, 126(2), 351(3) बीएनएस बनाम 02 नामजद एवं 04 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना दिलीपपुर थानाध्यक्ष बलराम सिंह मय हमराह का0 निर्दोष कुमार, का0 स्वामीनाथ, चालक का0 विनोद यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 04/2026 धारा 3(5), 308(2), 352, 126(2), 351(3) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों, 1. पंकज दूबे पुत्र श्याम नारायण दूबे निवासी ग्राम कोठीयाही थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष 2. सतीश पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम पूरे गंगाराम थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 48 वर्ष को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत कोठीयाही मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. पंकज दूबे पुत्र श्याम नारायण दूबे निवासी ग्राम कोठीयाही थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष।
2. सतीश पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम पूरे गंगाराम थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 48 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण- थानाध्यक्ष बलराम सिंह मय हमराह का0 निर्दोष कुमार, का0 स्वामीनाथ, चालक का0 विनोद यादव थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, देशी नाजायज शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत जगन्नाथ का पुरवा, देवरी से 20 लीटर देशी नाजायज शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, 300 किग्रा लहन कराया गया नष्ट-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना उदयपुर प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में थाना उदयपुर के उ0नि0 नन्दलाल यादव मय हमराह कां0 राहुल सिंह व म0कां0 शिखा गौतम द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, जगन्नाथ का पुरवा, देवरी से 01

अभियुक्त शंकर पुत्र सुखराज निवासी ग्राम जगन्नाथ का पुरवा, देवरी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ को 20 लीटर देशी नाजायज शराब के साथ गिरफ्तार किया गया तथा मौके से बरामद कुल 300 किग्रा लहन को नियमानुसार नष्ट कराया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर देशी नाजायज शराब बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना उदयपुर पर मु0अ0स0 04/2026 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई है।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री/परिवहन पर प्रभावी रोकथाम हेतु सतत अभियान संचालित किया जा रहा है।